(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 01/2021
रजिस्ट्रैशन सं0:– 2021/34

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री बृजकिशोर पुत्र रामसहाय अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी अटरू रोड बस्ती, सालपुरा स्टेशन तहसील अटरू जिला बारॉं(मौके पर मौजूद विक्रेता) मैसर्स हिमालय मिल्क एण्ड आइसक्रीम पार्लर, कवाई तहसील अटरू जिला बारॉं।
2. झालावाड–बारां जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, जिला झालावाड़

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गिरिराज शर्मा खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री प्रियदर्शन शर्मा अभि0 (अप्रार्थी क्रम 1)
3– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी क्रम 2)

निर्णय दिनांक 24.08.2021

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.02.2020 को मैसर्स हिमालय मिल्क एण्ड आइसक्रीम पार्लर, कवाई तहसील अटरू जिला बारॉं पर पहुंचा। वहॉ पर श्री बृजकिशोर पुत्र रामसहाय अग्रवाल (मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.02.2020 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन [illegible]/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार उसे कार्य क्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उसके कार्य क्षेत्र में आते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:14:22 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **पाश्च्युरीकृत डबल टोण्ड दूध** (**सरस स्मार्ट**) थैलियों में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **पाश्च्युरीकृत डबल टोण्ड दूध** (**सरस स्मार्ट**) में मिलावटी का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **पाश्च्युरीकृत डबल टोण्ड दूध** (**सरस स्मार्ट**) वास्ते नमूना जांच हेतु **500 मि.ली. के 04 पोलीपैक थैलियाँ** खरीदी, जिसकी कीमत श्री बृजकिशोर पुत्र रामसहाय अग्रवाल (मौके पर मौजूद विक्रेता) को 72/– रूपये (अक्षरे बहत्तर रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **पाश्च्युरीकृत डबल टोण्ड दूध** (**सरस स्मार्ट**) **500 मि.ली. के 04 पोलीपैक थैलियों** को चार नमूना भागों मे अलग–अलग कर कॉंच की साफ सूखी स्वच्छ शीशीयों में भरकर परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंदें डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1009 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1009 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री बृजकिशोर पुत्र रामसहाय अग्रवाल ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2020/64 दिनांक 17.02.2020 से ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 25/PHL/KOTA/Act/2020/41 दिनांक 14.02.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किये गये, खाद्य पदार्थ **पाश्च्युरीकृत डबल टोण्ड दूध** (**सरस स्मार्ट**) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप** (**Mis Branded**) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:14:22 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स हिमालय मिल्क एण्ड आइसक्रीम पार्लर, कवाई तहसील अटरू जिला बाराँ से पत्रांक 65 दिनांक 17.02.2020, पत्रांक 181 दिनांक 07.07.2020, पत्रांक 256 दिनांक 24.07.2020 एवं पत्रांक 316 दिनांक 31.10.2020 से सूचना चाही। मैसर्स हिमालय मिल्क एण्ड आइसक्रीम पार्लर, कवाई तहसील अटरू जिला बाराँ द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य रजि0 पत्र एवं बूथ आवंटन पत्र/आदेश की प्रति कार्यालय में पेश की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 19.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जर्ये अभिभाषक एवं अप्रार्थी क्रम 2 के द्वारा स्वयं उपस्थिति दी गई। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पृथक–पृथक जवाब प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किए जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस राजस्थान सरकार जर्ये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **पाश्च्युरीकृत डबल टोण्ड दूध** (सरस स्मार्ट) को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप** (**Mis Branded**) होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी क्रम 1 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथन को दोहराते हुए कहा गया कि अप्रार्थी की कस्बा कवाई में दूध एवं आइसक्रीम की दुकान है जिसका अनुज्ञा पत्र फूड सेफ्टी एंड स्टैण्डर्ड एक्ट के तहत पंजीकृत है जिसका पंजीकरण सं0 22218061000058 है। जिस पर अप्रार्थी सरस ब्राण्ड का विक्रय करता है। अप्रार्थी उक्त सरस ब्राण्ड का अधिकृत विक्रेता है जिसके लिए झालावाड–बारां जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड में प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थी समस्त आवश्यक वैधानिक योग्यता धारित कर अपना व्यवसाय सुचारू रूप से कर रहा है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध संस्थित परिवाद खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी क्रम 2 के द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथन को दोहराते हुए कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट की कोई भी प्रति प्रार्थीगण को नहीं भिजवाई गई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियम 2.4.5 के तहत लिए गए खाद्य नमूने की जांच सी.एफ.एल. में करवाने का अधिकार है, उस [illegible] की भी रिपोर्ट नहीं भेजकर हनन हुआ है। झालावाड़ डेयरी द्वारा प्रतिदिन सभी दूध के [illegible] की जांच स्वयं के लेब में की जाती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जांच प्रक्रिया में दूध को नॉर्मल [illegible] क्रम में करके एकरूप नहीं किया गया जिससे कुछ फैट थैली में लगी रह जाती है जिससे भी नमूना सबस्टैण्डर्ड आ सकता है। झालावाड़ डेयरी द्वारा पूर्ण जांच के बाद हीं, पूर्ण गुणवत्ता युक्त दूध का विपणन एवं विक्रय किया जाता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी को दोषमुक्त किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:14:22 IST
Reason: Self Attested

इसके विपरीत प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 25/PHL/KOTA/Act/2020/41 दिनांक 14.02.2020 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थी क्रम 1 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है। अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत किए गए जवाब में सबस्टैण्डर्ड के बारे में इस न्यायालय में अपने पक्ष में जानकारी दी गई है किन्तु प्रकरण मिथ्याछाप का है।

मेरे द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई और उस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन एवं मनन/विश्लेषण करने पर पाया गया कि अप्रार्थी क्रम 1 से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय की गई खाद्य पदार्थ **पाश्च्युरीकृत डबल टोण्ड दूध** (**सरस स्मार्ट**) के 500 मि.ली. के 04 पौलीपेक थैलियाँ खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 25/PHL/KOTA/Act/2020/41 दिनांक 14.02.2020 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी क्रम 1 को राशि 5000/– रूपये एवं अप्रार्थी क्रम 2 को राशि 5,000/– रूपये पत्रावली मे कुल जुर्माना राशि 10,000/– रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:14:22 IST
Reason: SelfAttested